LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPAITAL TERRIOTORY OF DELHI BULLETIN PART-II

(General Information relating to legislative & other matters) Friday, 04 August, 2017/13 Shraavan, 1939 (Shaka)

No. 110

Subject: Guidelines for Entry of Vehicles and Visitors in the Assembly Complex.

As directed by the Hon'ble Speaker, Hon'ble Members are requested to kindly note the following instructions regarding entry into the Assembly premises:

- 1. Only those vehicles which have been issued valid entry pass by the Assembly Secretariat will be allowed into the Assembly premises. Therefore, Hon'ble Members are requested to avoid any vehicle which does not have the Assembly pass. In exceptional cases, if the Hon'ble Member happens to travel by any other vehicle, the driver of that vehicle will be allowed to proceed only if he possesses the identity card issued by the Assembly Secretariat. Otherwise the Driver shall have to obtain a visitor's pass from the Reception which will be issued only on the written request of the Hon'ble Member (Format enclosed).
- 2. In case the Hon'ble Member is accompanied by persons who do not have valid entry pass, such persons will have to alight from the vehicle and enter through the Reception after completing due security formalities. Visitor's pass to these persons shall be issued only on the written request of the Hon'ble Member.
- 3. All persons visiting the Assembly Complex shall carry and produce on demand a valid photo Identity Card issued by the Government (Election Identity Card / Driving Licence / Aadhaar / or any other identity card issued by any Government Department / Institution / Organization having the photograph and address of the card holder).
- 4. Media Personnel have been directed to not interact with Hon'ble Members in the corridors of the Assembly building and MLA Lounges. Hon'ble Members are also requested to refrain from engaging with the media persons in these areas. They are free to interact with the media in the open area in front of the Assembly.

The Bulletin Part-II regarding guidelines on issue of passes for Visitor's Gallery and the detailed guidelines issued for security purposes is enclosed for reference of the Hon'ble Members.

Hon'ble Members are requested to adhere to the instructions and guidelines and co-operate in its compliance to avoid inconvenience and security related problems.

(Prasanna Kumar Suryadevara) Secretary

विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी शुक्रवार, 4 अगस्त 2017 / 13 श्रावण, 1939 (शक)

संख्या 110

विषय : विधान सभा परिसर में आगंतुकों एवं वाहनों के प्रवेश हेतु मार्ग निर्देशिका।

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया विधान सभा परिसर में प्रवेश हेतु निम्नलिखित निर्देशों को नोट करें:--

- 1. विधान सभा परिसर में केवल उन्हीं वाहनों को प्रवेश दिया जायेगा जिनके लिए विधान सभा सचिवालय द्वारा वैध प्रवेश पत्र जारी किए गए हों। अतः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऐसे वाहन न लाएं जिस पर विधान सभा प्रवेश पत्र न लगा हो। असाधारण मामलों में, जब माननीय सदस्य किसी अन्य वाहन से यात्रा कर रहे हों, उस वाहन चालक को, विधान सभा सचिवालय का पहचान पत्र होने पर ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। (फार्म संलग्न है)
- 2. यदि माननीय सदस्य के साथ कोई ऐसे व्यक्ति यात्रा कर रहे हों जिनके पास वैध प्रवेश पत्र न हो, ऐसे व्यक्तियों को वाहन से उतर कर सुरक्षा औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत स्वागत कक्ष से प्रवेश करना होगा।
- 3. विधान सभा परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार/या किसी सरकारी विभाग/संस्थान/संगठन द्वारा जारी कार्ड धारक के फोटो और पते सहित पहचान पत्र) साथ रखना होगा और माँगने पर दिखाना होगा।
- 4. मीडिया कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विधान सभा भवन के कॉरीडोर और एमएलए लॉज में माननीय सदस्यों से बातचीत न करें। माननीय सदस्यों से भी अनुरोध है कि वे इन जगहों पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करने से बचें। वे विधान सभा के सामने खुली जगह पर मीडिया से बाताचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

माननीय सदस्यों के संदर्भ के लिए दर्शक-दीर्घा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने और सुरक्षा के उद्देश्य से जारी विस्तृत मार्ग-निर्देशों के बारे में समाचार भाग-2 संलग्न है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अनुदेश और मार्ग-निर्देशों का पालन करें और किसी असुविधा और सुरक्षा संबंधी समस्या को टालने के लिए इनके अनुपालन में सहयोग करें।

> प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा सचिव